



**कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक— 1264 / 12-1 देहरादून:

दिनांक: 22 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

उप महा निदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:— जनपद-पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली मोटर मार्ग के किमी 0 8.00 से मटाखाली-कोल्टा-मुछियाली होते हुए ग्राम उत्तरासू-देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/11811/2015)

सन्दर्भ :— आपकी पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/०६/८/२०१६/एफ०सी०/९७ दिनांक 16-04-2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से आपके द्वारा इंगित त्रुटियों का निराकरण करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 329/12-1 दिनांक 24-08-2024 से प्रेषित आँख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा आपने कार्यालय के पत्रांक 602/12-1 दिनांक 27-09-2024 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है—

क्र०सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.870 है० भूमि ग्राम मरगुण सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 329/12-1 दिनांक 24-08-2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि 8.870 है० ग्राम मरगुण क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु निर्धारित धनराशि वन विभाग के पक्ष में कर दी गई है। चयनित भूमि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं खाता खतौनी संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत ही दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 329/12-1 दिनांक 24-08-2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है। (संलग्नक-2)

3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 329/12-1 दिनांक 24-08-2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि रु0 15,44,311.00 (पन्द्रह लाख चौवालीस हजार तीन सौ ग्यारह) मात्र UTR No. RBI1872477907052 दिनांक 15-07-2024 द्वारा जमा की गई है। (संलग्नक-3)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA Cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जैनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किया जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 329/12-1 दिनांक 24-08-2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सी0ए0, एन0पी0वी0 की धनराशि चालान द्वारा कैम्पा कोष में चालान सं0 6111811672 के माध्यम से जमा की गई है। (संलग्नक-2 के अनुसार)
5.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 329/12-1 दिनांक 24-08-2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
6.	State Govt. will provide scheme for planting 2000 trees in lieu of 2.00 Ha. Area falling in MDF as per ministry guidelines Dated 08.11.2017	प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 452/12-1 दिनांक 12-09-2024 से 2.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रेषित किया गया है। (संलग्नक-5)

अतः उपरोक्त प्रकरण में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा प्रेषित उत्तरालेख की प्रति संलग्नकों सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1264 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 602 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, सितम्बर 27, 2024.

सेवा में,

✓ प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली मोटर मार्ग के किमी 8.00 से मटाखाली-कोल्टा-मुछियाली होते हुए ग्राम-उतरासू-देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 है 0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/11811/2015

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/०६/८/२०१६/एफ०सी०/९७ दिनांक 16.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 329/12-1 दिनांक 24.08.2024 एवं 452/12-1 दिनांक 12.09.2024 से सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् इस कार्यालय को प्रेषित की गई है-

क्र०सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.870 है 0 भूमि ग्राम मरगुण सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 329/12-1 दिनांक 24.08.2024 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि 8.870 है 0 ग्राम मरगुण क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रख रखाव हेतु निर्धारित धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की है। चयनित भूमि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, हस्तान्तरण/नामान्तरण, एवं खाता खतौनी संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत ही दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है। (संलग्नक-2)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि रु० 1544311.00 (पन्द्रह लाख चवालीस हजार तीन सौ ग्यारह) UTR NO.RBI 1872477907052 दि० 15.07.2024 द्वारा कैम्पा उत्तरांचल में जमा की गयी है। (संलग्नक-3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cost, NPV etc) को वेब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किए गए चालन के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सी०ए०, एन०पी०वी० की धनराशि चालन द्वारा कैम्पा कोष देहरादून में चालन सं० 6111811672 के माध्यम से जमा की गई। (संलग्नक-2 के अनुसार)

उभारी पौड़ी

IAIDFEP

आ. आ. ०२२

08

१५.०८.२०२४

51024

वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, देहरादून

देहरादून

दिनांक 11/09/24
पत्रांक 12-1
७-१०-२४

क्रमशः पेज 02 पर

5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया कि जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों central verge पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation किया जायेगा, का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-4)
6	State govt. will provide scheme for planting 2000 trees in lieu of 2.00 ha area falling in MDF as per ministry guidelines dated 08.11.2017	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक 452/12-1 दिनांक 12.09.2024 से 2 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन प्रेषित किया गया है। (संलग्नक-5)

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक 602 / 12-1 दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।।

Phone & Fax 01368222303, E-Mail dfossipauri@yahoo.com, dfocsgarh-forest-uk@nic.in

पत्रांक :-

329 / 12-1

पौड़ी, दिनांक,

24

अगस्त,

2024,

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8.00 से मटाखाली-कोल्टा-मुछियाली होते हुये ग्राम-उतरासू-देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 है० वन भूमि का का प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

आपकी पत्र संख्या-363/12-1 दिनांक 22 अगस्त 2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8.00 से मटाखाली-कोल्टा-मुछियाली होते हुये ग्राम-उतरासू-देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य लो०नि०वि० पौड़ी को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में चिन्हित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र०सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.870 है० भूमि ग्राम मरगुण सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि 8.870 है० ग्राम मरगुण क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रख रखाव हेतु निर्धारित धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की है। चयनित भूमि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, हस्तान्तरण/नामान्तरण, एवं खाता खतौनी संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत ही दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है। (संलग्नक-2)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि रु० 1544311.00 (पन्द्रह लाख चवालीस हजार तीन सौ ग्यारह) UTR NO.RBI 1872477907052 दि० 15.07.2024 द्वारा कैम्पा उत्तरांचल में जमा की गयी है। (संलग्नक-3)

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cost, NPV etc) को बैंक पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किए गए चालन के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सी0ए0, एन0पी0वी0 की धनराशि चालन द्वारा कैम्पा कोष देहरादून में चालन सं0 6111811672 के माध्यम से जमा की गई। (संलग्नक-4)
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा central verge पर Strip plantation किया जायेगा, की वचन बद्धता संलग्न की गई है। (संलग्नक-5)
6	State govt. will provide scheme for planting 2000 trees in lieu of 2.00 ha area falling in MDF as per ministry guidelines dated 08.11.2017	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी की पत्र संख्या-1960/8-1(2) दिनांक 31-01-2023 से जारी अनुसूचित दर के अनुसार 2 है0 सी0ए0 क्षेत्र में 2000 पौध का रोपण कार्य किया जायेगा। (संलग्नक-6)

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रियुपाल सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।।

Phone & Fax 01368222303, E-Mail dfossipauri@yahoo.com, dfocsgarh-forest-uk@nic.in

क्र. :- 452 / 12-1

, पौड़ी, दिनांक, 12 सितम्बर, 2024,

सेवा में,

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,

पौड़ी।

विषय :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8.00 से मटाखाली-कोल्टा-मुछियाली होते हुये ग्राम-उतरांसू-देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 है० वन भूमि का का प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार के पत्रांक- 8 बी०/ यू०सी०पी०/०६/८/२०१६/एफ०सी०/९७, दिनांक 16.04.2018 व आपकी पत्र संख्या 462/12-1 दिनांक 04-09-2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित शर्त संख्या-06 में लगाई गई आपत्ति की आख्या निम्न

प्रकार प्रेषित।

शर्त	अनुपालन
1-शर्त सं०-6-state govt. will provide scame for planting 2000 trees in lieu of 2.haca area falling in mdf us per ministry guidelines dated 8.11.2017	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी की पत्र संख्या-1960/8-1(2) दि० 31.01.2023 से जारी अनुसूचित दर के अनुसार 2 है० सी०ए० क्षेत्र में 2000पौघ का रोपण कार्य किया जायेगा। संलग्न प्राक्कलन।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

वा.म.ए.सू.ग.ग.
आ.का.क.के.

कार्यालय वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी
प्राप्ति सं० 2008
पत्रांक संख्या 12-1
दिनांक 12/09/24
पत्र किसको भेजा
V.M.E.

भवदीय

(शिशुपाल सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक 912 / 2भू0आ0

दिनांक 20/06 / 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल सोयम पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8.00 से मटाखाली-कोल्ता-मुछियाली होते हुये ग्राम उतरांसू-देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 हे० वनभूमि का प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) सुभाष रोड देहरादून के पत्र संख्या 8बी०/यू०सी०पी०/०६/८/२०१६/एफ०सी०/९७ दिनांक 16.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8.00 से मटाखाली-कोल्ता-मुछियाली होते हुये ग्राम उतरांसू-देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग पौड़ी को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में चिन्हित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है-

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.870 हे० भूमि ग्राम मरगुण सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त नं० 01- के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित भूमि 8.870 हे० ग्राम मरगुण सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रख रखाव हेतु ₹ 2471759.00 (चौबीस लाख इक्कतर हजार सात सौ उनसठ) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है, एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम मरगुण जिला पौड़ी गढ़वाल के सिविल एवं सोयम भूमि का क्षेत्रफल 8.870 हे० को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आपके स्तर से निर्गत किया जाना है। (नामान्तरण/हस्तान्तरण की खाता खतौनी की नकल एवं आदेश की प्रति संलग्न है)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त नं० 02- के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ₹ 2913795.00 (उन्तीस लाख तेरह हजार सात सौ पिच्चानब्बे) मात्र एन०पी०वी० की देय धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है, एन०पी०वी० की धनराशि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का संयुक्त चालान ₹ 5385554.00 की प्रति संलग्न है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की जाय।	शर्त नं० 03- के अनुपालन में यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न है)।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में जमा किया जायेगा, अन्य मदों में से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगा।	शर्त नं० 04- के अनुपालन में सी0ए0 एन0पी0वी0 की धनराशि ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कर बैंक कोष देहरादून में जमा कर दिया गया है जिसका चालान संख्या 6111811253 के माध्यम से जमा कर दी गई है (चालान की प्रति संलग्न है)।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त नं० 05- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सके दोनों किनारों पर सैन्ट्रल ब्रिज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय का बचनबद्धता प्रेषित की जा रही है तथा उपरोक्त मोटर मार्ग में साईड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु ₹ 2471759.00 (चौबीस लाख इक्कतर हजार सात सौ उनसठ) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है, में वांछित वृक्षारोपण स्कीम वन विभाग द्वारा प्रेषित की जानी है।
6	State Govt. will provide scheme for planting 2000 trees in lieu of 2.00 ha CA area falling in MDF as per Ministry guidelines dated 08-11-2017	शर्त नं० 06- के प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया जाना है।
सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित अन्य आवश्यक शर्तों का निम्नानुसार पालन किया जायेगा।		
1	वन भूमि की विधित परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्त सं० 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिये बाध्य होगा।	शर्त सं० 2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है (प्रमाण पत्र संलग्न)।
3	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 8.870 हे० ग्राम मरगुण सिविल एवं सोयम भूमि को 6 माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त सं० 3 के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि जो राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/रोपान्तरित किया जायेगा, भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं हस्तान्तरण/नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	शर्त सं० 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूर/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाये जाने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फिट ऊंचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	शर्त सं० 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आर०सी०सी० पिलर मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर 4 फीट ऊंचे आर०सी०सी० पिलर लगाये जायेंगे, जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिये रसोई गैस एवं कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकट वर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।	शर्त सं० 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्राप्त लकड़ी विशेषता वैकल्पिक ईंधन दिये जाने पर प्रयोक्ता अभिकरण सहमत एवं बचनबद्ध है।


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो०नि०
 पैड़ी

7	परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियां एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।	शर्त सं0 7 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास की वनस्पति एवं वन जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
8	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्यों के अलावा अन्य के किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा, तथा किसी भी परिस्थितियों में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था विभाग व व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	शर्त सं0 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण कटिबद्ध है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये प्रयोग एवं किसी अन्य संस्था विभाग व व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
9	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 18 से अधिक न हो।	शर्त सं0 9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न है)।
10	सड़क के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहां जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा सैन्ट्रल ब्रिज पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में स्ट्रीप प्लान्टेशन किया जायेगा।	शर्त सं0 10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त स्ट्रीप प्लान्टेशन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न है)।
11	परियोजना निर्माण से उपर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण परियोजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा, एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	शर्त सं0 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण सम्बन्धी सभी दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश यदि इस प्रकार प्रस्ताव पर लागू होता है तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण किसी अन्य अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश जो इस प्रस्ताव पर लागू होगा उसकी अनुमति लेने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
13	ऐसी अन्य कोई कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत स्वीकृति में दिये गये शर्तों का सन्तोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	शर्त सं0 13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण इस बात के लिये बचनबद्ध है कि निर्माण कार्य के दौरान वन्य जीवों का पूर्णतः संरक्षण किया जायेगा एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्राप्त समस्त शर्तों का कड़ाई से पालन किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

20/06/22

(इं0 धन सिंह कुटियाल)

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

प्रतिलिपि:— मुख्य वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

(इं0 धन सिंह कुटियाल)

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

जिला-: पौड़ी (गढ़वाल)

[illegible]

अज्ञात क्षेत्र २२३३०१

तहसील:- श्रीनगर,

जिला:- पौड़ी (गढ़वाल)

										जिला- पोड़ी (गढ़वाल)									
मुन्तखिया (खतौनी) खा० सं०	खातेदार / काबिज का नाम पितृ ना व निवास स्थान	मुदत काश्त या कब्जा	हाल ख० नं०	क्षे० नाली मुवठी / हे० में	नाम लोक	गैर मजरूवा शमिल जेत	मालगुजारी	क्षेत्र	मालिकाना / शोकदारी	किसम जमीन				विस्तार		विवरण			
										तलाउ	अब्बल	दोयम	इजशन	कंटील	कुल रकवा		कानूनी	गैर कानूनी	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	३११३१		२४४	२.५५८															
			२९१	०.०४८															
			३९१	०.३५६															
			३६९	०.०२८															
			२१	३७.८११															
										असेदार									
										नमल तखतौनी									
										जानवरी ३० ए. मजूरन से लवा (वी. ग. पी. र.)									
										सुन्दर सिंह रावत)									
										नजस उप निरीक्षक									
										२३/११/२०२० तह ३०									
										पोड़ी गढ़वाल (उमराखाउ)									

Photo Copy Attestd

Assistant Engineer

C.D. P.W.D Pauri

(मुहम्मद सिंह रावत)

जजस्व उप निरीक्षक

२३/०५/२०२० तहसील पौड़ी गढ़वाल (जगदराय ड)

प्रेषक

तहसीलदार
श्रीनगर

सेवा में,

जिलाधिकारी
गढ़वाल।

संख्या- 89 / 20का0/2018-19/श्रीनगर

दिनांक जून 25, 2018

विषय- जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या:-7325/26-एल0ए0सी0/2019 दिनांक पौडी मार्च 2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्यू तहसील श्रीनगर के जेड0ए0श्रेणी 9 (3) ख 2 झाडी की भूमि खाता संख्या 3/8 के खसरा न0 171 रकबा 13.647 है0 मध्ये 8.870 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने के आदेश दिनांक 09.03.2 के अनुपालन में आदेश का अकन भू अभिलेखों में किया गया है।

अतः अनुपालन आख्या मय नकल खतौनी महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

Photo Copy Attestd

Assistant Engineer

E.D. P.W.D Pauri

तहसीलदार
श्रीनगर

236/1410
दिनांक 3-4-19

संख्या: 2325/26-एल0ए0सी0/2019, दिनांक पौड़ी मार्च 09-03-2019

आदेश

उपजिलाधिकारी श्रीनगर ने अपने पत्र संख्या 311/जे0ए0-2018-19 दिनांक 12.02.2019 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग पौड़ी द्वारा प्रस्तावित अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली से ग्राम देवलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्यू तहसील श्रीनगर के नॉन जेड0ए0. श्रेणी 9(3) ख 2 झाड़ी की भूमि खाता संख्या 3/8 के खसरा नं0 171 रकबा 13.647 है0 मध्ये 8.870 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्तावित भूमि पर कोई मकान, पनघट, कब्रिस्तान, धर्मशाला आदि नहीं है। प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं हैं। प्रस्तावित भूमि राज्य सरकार केसर हिन्द भूमि है। जो कि विवादित नहीं हैं।

2- शासनादेश संख्या-2173/XVII(2)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20.000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया हैं।

अतः जनपद पौड़ी गढ़वाल के निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग पौड़ी द्वारा प्रस्तावित अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली से ग्राम देवलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी श्रीनगर की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्यू तहसील श्रीनगर के नॉन जेड0ए0. श्रेणी 9(3) ख 2 झाड़ी की भूमि खाता संख्या 3/8 के खसरा नं0 171 रकबा 13.647 है0 मध्ये 8.870 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार श्रीनगर तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(धीराज सिंह गर्बाल)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- 5- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार श्रीनगर।

No 236/1410 दि 3-4-19
प्रतिनिधि स. जिलाधिकारी को
सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(धीराज सिंह गर्बाल)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

Attested

Photo Copy Attested

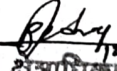
प्रारूप-43

परियोजना विवरण :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 08 से मट्टाखोली से कोल्हा-मुछियाली होते हुए ग्राम-देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम-मरगुण, पट्टी-रावतस्यूं, तहसील-श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल की नॉन जेड0ए0 श्रेणी 9(3) ख 2 झाड़ी स्थल जो संलग्न खतौनी में दर्शया गया वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

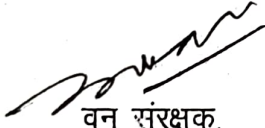

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सौर्यम वन प्रभाग
पौड़ी

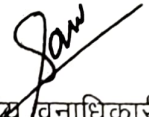

वन क्षेत्राधिकारी
श्रीनगर
सिविल एवं सौर्यम वन प्रभाग
पौड़ी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली मोटर मार्ग के किमी 0.08 से मट्टाखोली से कोल्ठा-मुछियाली होते हुये ग्राम-देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 है० वन भूमि का और वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम-मरगुण, पट्टी-रावतस्थूँ, तहसील-श्रीनगर के नॉन जेड0ए0 श्रेणी 9(3) ख 2 झाड़ी की भूमि खाता संख्या 3/8 के खसरा नं० 171 रकबा 13.647 है० मध्ये 8.870 है० की भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना सं० 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं० 1566/14-2-97-800 (II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित


वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।


प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक 362 / 12-1, दिनांकित, पौड़ी, जुलाई, 22/08/2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7. गार्ड, बुक।


वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

NEFT RTGS CHALLAN

Deposited on 10.12.2018
at Corporation Bank Rajpura Road
Rohini

2

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

11-2018

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6111811672
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/08/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer Construction Division P.W.D Pauri Garhwal
Amount (in Rs)	5385554/-

Amount in Words: Fifty-Three Lakh Eighty-Five Thousand
Five Hundred and Fifty-Four Rupees OnlyNEFT/RTGS to be made as per following
details:

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896111811672 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
This challan is valid only for seven days.For making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
mail: helpdeskcampa@corpbank.co.in

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-11-2018

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6111811672
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/08/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer Construction Division P.W.D Pauri Garhwal
Amount (in Rs)	5385554/-

Amount in Words: Fifty-Three Lakh Eighty-Five Thousand
Five Hundred and Fifty-Four Rupees OnlyNEFT/RTGS to be made as per following
details:

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896111811672 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

Photo Copy Attested

Assistant Engineer

P.W.D Pauri

1/1



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी



E Mail ID:- cepwdcdpauri@gmail.com, cepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

पत्रांक ८९० / २५०८१०

दिनांक १५/०७/२०२४

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम
पौड़ी।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली मोटर मार्ग के किमी ०८ से मट्टाखाली से कोल्हा-मुछियाली होते हुये ग्राम देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रत्यार्वन। FP/UKROAD/11811/2015

सन्दर्भ:- आपका पत्र सं० - 2156/12-1 दि० 21.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर आप द्वारा चाही गयी एन०पी०बी० की अतिरिक्त धनराशि रु० 1544311.00 (पन्द्रह लाख चवालिस हजार तीन सौ ग्यारह) रु० मात्र का डिमाण्ड नोट इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था। जिसे इस कार्यालय के द्वारा खाता सं० 150897294 कैम्पा उत्तरांचल में UTR No. - RBI1872477907052 दि० 05.07.2024 द्वारा जमा कर दी गयी है।

अतः आप अपने स्तर से अग्रिम कार्य वाही करने का कष्ट करे साथ ही आपके द्वारा दिये गये। मौखिक निर्देशों के क्रम में उक्त मोटर मार्ग की खाता खतौनी मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:-खाता खतौनी


(श्री शिवा) 15.7.24

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी



E Mail ID:- cepwdcdpauri@gmail.com, cepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8.00 से मटाखाली-कोल्टा-मुछियाली होते हुये ग्राम उत्तरांसू-देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 हे० का नव निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों पर वन विभाग के देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढ़वाल


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी


कनिष्ठ अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
पौड़ी

प्रपत्र-42

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन।

परियोजना का नाम- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी-खन्दुखाल-मुछियाली मोटर मार्ग के कि०मी० 8.00 से मटाखेली से कोल्टा-मुछियाली होते हुए ग्राम उत्तरासू- देवलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.435 है० वन भूमि।

वृक्षारोपण स्थल का नाम- मरगुण,

क्षेत्रफल- 2.00 है०

रोपित की जाने वाले पौधों की संख्या - 1000 पौध प्रति है० 2.00 है० 2000 पौध

क० सं०	कार्य विवरण	इकाई (प्रति० है०)	दर (रु० प्रति है०)	धनराशि
1	2	3	4	5
1	सर्वे व सीमांकन	प्रति है०	1118	1118.00
2	झाडी कटान कार्य	-ए-	1908.06	1908.06
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेन्सिंग) 150 र०मी० को आधार मानकर (150*1.20*0.45)	-ए-	60403.32	60403.32
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रह हेतु कच्चे खाल-खाल एवं गल्ली प्लगिंग कार्य	-ए-	100000	100000.00
5	गड़ढा खुदान (1000.30*0.30*0.45)	-ए-	12.48	12480.00
6	कन्दूरनाली का सीमांकन, खुदान 235 र०मी० प्रति है०	-ए-	104.36	24524.60
7	निरीक्षण बटिया 200 वर्ग मी०	-ए-	5898	5898.00
8	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष 75%	-ए-	19	19000.00
9	अन्य व्यय	-ए-	L.S	1000.00
प्रथम चरण का योग:-				226331.98
1	गड़ढा भरान कार्य (1000.30*0.30*0.45)	प्रति सं०	2.27	2270.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष 25%	-ए-	2.26	2260.00
3	पौध डुलान कार्य	-ए-	14.75	14750.00
4	पौध रोपण एवं थावला बन्दी कार्य	-ए-	4.54	4540.00
5	निराई-गुडाई एवं मलचिंग कार्य	-ए-	2.72	2720.00
6	खाद व दवा पर व्यय	-ए-	0.35	350.00
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रख-रखाव पर व्यय (12 माह)	-ए-	988.4	11860.80
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	-ए-	L.S	2000.00
9	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	-ए-	L.S	5000.00
10	साइन बोर्ड लगाना	-ए-	L.S	1000.00
द्वितीय चरण का योग:-				46750.80
कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण :-				273082.78

तृतीय वर्ष रख-रखाव 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति प्रति है०

1	रोपण वर्ष के उपरांत प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य 12 माह	प्रति है०	988.4	11860.80
2	गड़ढा खुदान 10 प्रतिशत	प्रति गड़ढा	12.48	1248.00
3	पौध की कीमत	प्रति पौध	30.63	3063.00
4	पौध रोपण मय ढुलान	प्रति पौध	22.69	2269.00
5	सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ कार्य	प्रति है०	245	245.00
6	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	-ए-	L.S	5000.00
7	अन्य व्यय	-ए-	L.S	500.00
योग :-				24185.80

चतुर्थ वर्ष रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरांत द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य 12 माह	प्रति है०	988.4	11860.80
2	अन्य कार्य	-ए-	L.S	6000.00
योग :-				17860.80

पंचम वर्ष रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरांत तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य 12 माह	प्रति है०	988.4	11860.80
2	अन्य कार्य	-ए-	L.S	6000.00
योग :-				17860.80

षष्ठ वर्ष रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरांत चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य 12 माह	प्रति है०	988.4	11860.80
2	अन्य कार्य	-ए-	L.S	6000.00
योग :-				17860.80

सप्तम वर्ष रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरांत पंचम वर्ष में अनुरक्षण कार्य 12 माह	प्रति है०	988.4	11860.80
2	अन्य कार्य	-ए-	L.S	6000.00
योग :-				17860.80

अष्टम वर्ष रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरांत षष्ठ वर्ष में अनुरक्षण कार्य 12 माह	प्रति है०	988.4	11860.80
2	अन्य कार्य	-ए-	L.S	6000.00
योग :-				17860.80

नवम वर्ष रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरांत सप्तम वर्ष में अनुरक्षण कार्य 12 माह	प्रति है०	988.4	11860.80
2	अन्य कार्य	-ए-	L.S	6000.00
योग :-				17860.80

दशम: वर्ष रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में अनुरक्षण कार्य 12 माह	प्रति है०	988.4	11860.80
2	अन्य कार्य	-ए-	L.S	6000.00
योग :-				17860.80
महायोग :-				422294.18
1.00 है० क्षेत्र में 1000 पौध के रोपण एवं रख-रखाव पर व्यय रुपये =				422294.18
2.00 है० क्षेत्र में 2000 पौध के रोपण एवं रख-रखाव पर व्यय रुपये =		2.00 hec $\times$ 422294.18 =		844588.36
			या रू० =	844500.00
(रुपये आठ लाख चौवालीस हजार पांच सौ) मात्र				

जांच किया रू०. 8,44,500.00

मान चित्रकार,

सिविल एवं सौख्य वन प्रभाग, पीडी।

सिविल एवं सौख्य वन प्रभाग
पीडी

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सौख्य वन प्रभाग
पीडी